मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 162 / प्रस / स्कूल शि. / 10 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 2010

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त (नाम से)
2. समस्त कलेक्टर्स (नाम से)
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (नाम से)
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
5. समस्त जिला परियोजना समन्वयक
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश।

विषय :– जनगणना कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में।

—0—

प्रदेश में 01 अप्रेल 2010 से नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गया है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रारंभ से ही विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित हो सके इस हेतु समय सीमा में पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। परंतु जनगणना के कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाये जाने से अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जनगणना कार्य हेतु जिला अंतर्गत जितने शिक्षकों की आवश्यकता हो उतने शिक्षकों के नामों की सूची, प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के लिए जिला परियोजना समन्वयक से तथा हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर लें। यह अधिकारी शिक्षकों के नामों की सूची इसप्रकार से तैयार कर आपको उपलब्ध करायेंगे जिससे कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन न सके तथा विद्यालयों की अध्यापन व्यवस्था बिना किसी व्यवधान के संचालित रहे।

जिस प्रकार निर्वाचन कार्य में अन्य विभागों के कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग किया जाता है उसीप्रकार जनगणना कार्य में भी अन्य विभागों के कर्मचारियों को अधिक संख्या में लगाये जाने से शिक्षण व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग किया जा सकता है। आप सहमत होंगे कि बच्चों

का भविष्य उज्जवल बनाने के लिये हमें शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना है। शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनिवार्य है।

अतः शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी इस प्रकार लगायें कि पढ़ाई में व्यवधान न हो एवं जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाना हो उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से ही लगाया जावे।

Shrivastava
13.4.10
(स्नेहलता श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक / 163 /प्रस/स्कूल शि./10 भोपाल दिनांक 13 अप्रैल, 2010

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन, जेल रोड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Shrivastava
13.4.10
(स्नेहलता श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग